बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग १ कार्यवाही-प्रश्नोत्तर)

बुधवार, तिथि १९ फरवरी, १९७५ ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	
षष्ठ विहार विधान-सभा के दशम सत्र के अनागत अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या—९, १० एवं ११	१-९
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—३११ से ३२१, ३२६, ३२७, ३२९, ३३७, ३४२, ३४४ से ३४६, ३५०, ३५१, ३५८, ३५९, ३६२, ३६३, ३६७, ३६८, ३६९, ३७१, ३७३, ३७६, ३८०, एवं ३८१	९-४६
परिशिष्ट १ एवं २ (प्रश्नों के लिखित उत्तर —	४७-२९९
दैनिक निबंध :	३०१-३०३

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है ।

(१) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिले के त्रिमुहान-एकचारी में हगामा सड़क के पक्कीकरण की कार्य चल रही है;

(२) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक समाप्त करने का विचार रखती है ?

श्री अब्दुल गफूर—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) लोक-निर्माण विभाग की पंचम पंच वर्षीय योजना अधिसीमा में भारी कटौती के फलस्वरूप किसी भी योजना के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध करना संभव नहीं हो पा रहा है। फिर भी यदि भू अर्जन समय पर होता गया तथा पर्याप्त निधि उपलब्ध होती रही तो मार्च, ७७ तक यह कार्य पूरा हो जाने की आशा की जाती है।

ठीकेदार के विरुद्ध कार्रवाई।

३८५। श्री उमरांव साधो कुजूर—क्या मंत्री, लोक-निर्माण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राँची जिला के नामकुंम छुपुवाना सड़क जिसकी दूरी ९ मील है गत १९७० में माहलक्ष्मी कन्सट्रक्सन श्री श्याम मदान में ठीका लिया था और अभी भी सड़क अधूरी छोड़ दी गई है, यदि हाँ, तो ९ मील अधूरी सड़क को कबतक पूरा किया जायगा और सरकार कौन-सी कार्रवाई उक्त ठीकेदार में विरुद्ध करने का विचार करती है ?

श्री अब्दुल गफूर—यह सही नहीं है नामकुंम-छुपूदाना पथ की पूरी लम्बाई में मरम्मत का काम महालक्ष्मी कन्सट्रक्सन को ठेका में दिया गया था। मील संख्या-० से मील संख्या-५ तक की मरम्मती का काम एकरारनामा संख्या-१०२ बी० एफ-२ १९७१-७२ के अन्तर्गत २०,०००)—अनुमानित व्यय पर ही सी० सी० महन्ती नामक ठेकेदार को सौंपा गया था। इन्होंने इस एकरारनामा के विरुद्ध रु० १,०४,५८२)—को लागत का काम किया। इनको जनवरी, १९७३ में अन्तिम भुगतान किया जा चुका है।

इस सड़क के शेष भाग अन्तर्गत मील संख्या-६ से मील संख्या-१० की मरम्मती का काम रु० ५००००)—के अनुमानित व्यय पर एकरारनामा संख्या-१०२। बी० एफ २, १९७१-७२ के अन्तर्गत मेलर्स महालक्ष्मी कन्सट्रक्सन को सौंपा गया था।

जिसके विरुद्ध इन्होंने मात्र रु० ३६,४०५)—का काम किया। इन्हें जनवरी, १६७३ में अन्तिम भुगतान किया जा चुका।

यह सही है कि इस पथ की मरम्मती का काम समाप्त नहीं हुआ है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में इस पथ की मरम्मती का काम बहुत हद तक पूरा हो जाने की आशा है। जो थोड़ा बहुत काम शेष रहेगा उसे १६७५-७६ में निधि आवंटन उपलब्ध होने पर पूरा हो जायगा। चूँकि ठेकेदार को अन्तिम भुगतान किया जा चुका है।

सरकार तथ्यों की जाँच कराकर यह देखेगी कि ठीकेदार को क्या जिम्मेदारी थी और तदनुसार कार्रवाई करेगी।

अनियमित नियुक्ति।

३८६। श्री कृष्ण प्रताप सिंह—क्या मन्त्री, लोक-निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री सत्यनारायण सहाय, अवर मुख्य अभियन्ता के० नि० संगठन ने कार्यालय से विरमित होने के दिन ५-६-७४ को कार्यालय आदेश संख्या १०५, १०६ एवं १०७ के द्वारा ४२ व्यक्तियों को बिना किसी प्रकार के विज्ञापन निकाले या नियोजनालय से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये तथा किसी प्रकार का साक्षात्कार लिये नियुक्ति कर लिया है;

(२) क्या यह बात सही है कि निदेशक, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, पटना में अपने पत्र सं० ४३६ दिनांक ४-१२-७४ द्वारा इन नियुक्तियों को अनावश्यक बताया है तथा हटाने के आदेश के लिये अपर मुख्य अभियन्ता, के० नि० वि० से अनुरोध किया है;

(३) क्या यह बात सही है कि इस तरह नियुक्तियों को कराने में श्री रामनन्दन प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी का प्रमुख हाथ है एवं नियुक्ति उतनी जल्दीबाजी में की गई है कि पाँच व्यक्तियों के पास निर्धारित योग्यता नहीं रहने की वजह से उनकी नियुक्ति ८-१०-७४ को रद्द की गई है एवं शेष नियुक्तियों को २२-१२-७४ को रद्द किया गया है;

(४) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार इन नियुक्त करने एवं कराने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?